

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 3 (क)/अलेसे II लिंक न . 2537 / 628

दिनांक :- 27/09/2019

30

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री ज्ञानेश्वर शर्मा [लिंक नं. 2537] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, मावली, उदयपुर - [22425] जिनकी जन्म तिथि 20/04/1960 है, ने दिनांक 09.08.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/10/2019 से पेंशन नियम 1996 के नियम 50(3)(क) के अन्तर्गत तीन माह के नोटिस में शिथिलता प्रदान करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

अतः पेंशन नियम 1996 के नियम 50(3)(ख) के अन्तर्गत तीन माह के नोटिस की अवधि की अपेक्षा में शिथिलता प्रदान करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/10/2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री ज्ञानेश्वर शर्मा की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 02/07/1983 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ज्ञानेश्वर शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प 3 (क)/अलेसे II लिंक न . 2537 / 628

दिनांक :- 27/09/2019

30

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, मावली, उदयपुर
4. कोषाधिकारी उदयपुर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री ज्ञानेश्वर शर्मा [2537] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, मावली, उदयपुर
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट

(अरविन्द दीवान)

(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II))